प्रेस विज्ञप्ति

31.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 26.10.2026 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में शशांक गोविंदप्रसाद पांडेय, प्रोपराइटर, मेसर्स प्रयाग डेवलपर्स एंड बिल्डर्स से संबंधित 02 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेजों/अभिलेखों, डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ कुल 1.95 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई तथा 40 लाख रुपये से अधिक की बैंक शेषराशि फ्रीज की गई। तलाशी अभियान के दौरान करोड़ों रुपये मूल्य की कई अचल संपत्तियों का भी पता चला, जिनके अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) से अर्जित किए जाने का संदेह है।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत नागपुर शहर के अजनी पुलिस स्टेशन तथा नागपुर के राणाप्रतापनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 418 एवं 420 के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर की गई।

जांच में सामने आया है कि शशांक गोविंदप्रसाद पांडेय कई धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष व्यक्तियों को अनुचित आर्थिक क्षति हुई है। एक मामले में, उसने एक वरिष्ठ नागरिक विधवा महिला के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में विकास समझौता किया था, जिसके तहत वह शिकायतकर्ता को 1.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने तथा 14 आवासीय फ्लैट आवंटित करने के लिए बाध्य था। यद्यपि घोषणा-सह-सुधार विलेख के माध्यम से उक्त फ्लैट शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्धारित किए गए थे, तथापि आरोपी ने उसकी जानकारी अथवा सहमति के बिना धोखाधड़ीपूर्वक उक्त विलेख निरस्त कर दिया तथा बाद में निर्धारित फ्लैटों को तीसरे पक्षों को बेच दिया। इस बिक्री से प्राप्त 8.93 करोड़ रुपये की राशि का गबन किया गया तथा उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्यत्र अंतरित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विकास समझौते के तहत देय 45 लाख रुपये की राशि भी रोक ली गई, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को कुल 9.4 करोड़ रुपये की अनुचित आर्थिक क्षति हुई।

एक अन्य मामले में, दिव्य प्रयाग अपार्टमेंट परियोजना से संबंधित जांच में यह सामने आया कि 22 फ्लैटों को 22 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण के एवज में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के पास बंधक रखा गया था, जिसमें से 11 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। पांडेय ने ऋणदाता से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना तथा खरीदारों को मौजूदा बंधक की जानकारी दिए बिना उक्त बंधक फ्लैटों को बेच दिया। इसके अतिरिक्त, उसने गृह ऋण के संबंध में बैंक में कथित रूप से एक झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मौजूदा बंधक की जानकारी छिपाई गई। इसके बाद 12.84 करोड़ रुपये की बकाया देनदारियां सामने आईं तथा सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई। तथ्यों को छिपाने एवं गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण फ्लैट खरीदारों को अनुचित आर्थिक क्षति तथा आरोपी को तदनुरूप अनुचित लाभ होने का संदेह है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

